



कार्यालय नगरपालिका परिषद दमुआ, जिला – छिंदवाड़ा (म.प्र.)

(Phone – 07160-299095

E-mail : cmodamua@mpurban.gov.in)

दमुआ, दिनांक - 21/04/2026

पत्र क्र. 822 / जलप्रदाय शाखा / नपाप / 2026-27

निविदा सूचना

एतद् द्वारा वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए जल प्रदाय कार्य के लिये उपयोग में आने वाली सामग्री आवश्यकतानुसार समय-समय पर क्रय करने हेतु निविदा सूचना में वर्णित आईटम सूची अनुसार आईटम रेट पर इच्छुक कंपनी/फर्म से निविदा प्रपत्र-स अन्तर्गत ऑनलाईन दरें आमंत्रित की जाती है :-

स. क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1	2026_UAD_498648_1 22.04.2026	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये जल प्रदाय सामग्री प्रदाय कार्य।	11 माह 4500000.00	5000.00 45000.00	25.05.2026

नोट/शर्त :-

1. निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें आदि ऑनलाईन वेबसाईट <https://www.mptenders.gov.in> में देखी जा सकती है।
2. निविदा प्रपत्र ऑनलाईन दिनांक 22.04.2026 समय 18:55 बजे से 25.05.2026 समय 17:30 बजे तक क्रय किये जा सकते हैं।
3. ऑनलाईन बिड एवं समस्त दस्तावेज सबमिट/अपलोड करने की अंतिम तिथि 25.05.2026 को 17:30 बजे तक है।
4. ऑनलाईन निविदा दिनांक 26.05.2026 को 17:30 बजे से खोली जायेगी।
5. निविदाकार को शपथपत्र निविदा दस्तावेजों में दिये गये प्रारूप अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य है। समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाईन जमा किया जाना है।
6. सामग्री निर्दिष्ट स्थल पर पहुंचाकर और निकाय द्वारा बताये अनुसार देनी होगी।
7. सामग्री आवश्यकतानुसार समय-समय पर क्रय की जावेगी।
8. निविदाकार अपनी दरें सामग्री सूची में सामग्री के नाम से सामने लिखित युनिट अनुसार ही प्रस्तुत करें।
9. अनुसूची में उल्लेखित की गई सामग्री की संख्या/मात्रा कार्य की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित होगी, जिसका अधिकार नगर पालिका परिषद, करेली के पास सुरक्षित रहेगा।
10. निविदाकार अपनी दरें जी.एस.टी. व अन्य समस्त कर-माड़ा सहित प्रस्तुत करें। अलग से किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. निविदाकार को अनुसूची में उल्लेखित समस्त सामग्री की दर भरना अनिवार्य है।
12. समस्त सामग्री उच्च गुणवत्ता पूर्ण एवं आई.एस.आई./आई.एस.ओ. प्रमाणित होनी चाहिए। प्रदाय सामग्रियों की गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट निकाय अन्य एजेंसियों से उचित समझने पर करा सकती है।
13. सामग्री निर्धारित मापदण्ड अनुसार न होने पर वापसी की कार्यवाही की जायेगी जिसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा जिसकी समस्त जबाबदारी निविदाकर्ता की होगी।
14. निविदाकार को ऑनलाईन भुगतान हेतु स्वयं/फर्म का बैंक खाता क्रमांक, बैंक का नाम, बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड देना अनिवार्य है।
15. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार नगर पालिका परिषद, दमुआ के पास सुरक्षित रहेगा।
16. प्रतिष्ठान के प्रोपाइटर/प्रबंधक निविदा में अपना नाम एवं पूरा पता तथा अन्य जानकारी Annexure-H में भरकर प्रस्तुत करें।
17. निविदा स्वीकृत होने की दशा में स्वयं के व्यय पर नियमानुसार राशि के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
18. सामग्री आवश्यकतानुसार समय-समय पर क्रय की जावेगी। जिसके लिये निविदाकार को कार्यादेश जारी किया जायेगा। कार्यादेश में उल्लेखित की गई समयसीमा में निविदाकार को सामग्री निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचाकर देना अनिवार्य होगी।
19. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र छिंदवाड़ा होगा।
20. प्रस्तुत की गई दरें वित्तीय वर्ष 2026-27 (दिनांक 31.03.2027 तक) के लिये मान्य होगी।
21. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के समस्त अधिकार निकाय के पास सुरक्षित है, जिसमें किसी प्रकार की न्यायालयीन कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।
22. निविदाकार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं शासन के समस्त नियमों एवं निविदा शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
23. उपरोक्त के अतिरिक्त वे सभी शर्तें/आदेश/निर्देश भी लागू होंगे जो समय-समय पर राज्य शासन/निकाय द्वारा जारी किये जावेंगे।
24. निविदाकार ऑन लाईन बिड सबमिट करने की अंतिम तिथि की प्रतिक्षा ना करें। अंतिम तिथि पर पोर्टल नहीं चलने अथवा ईएमडी/निविदा प्रपत्र मूल्य के भुगतान नहीं होने की स्थिति में निकाय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
25. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल ऑनलाईन किया जावेगा। समाचार पत्रों में नहीं।
26. अतिरिक्त जानकारी वेबसाईट <http://www.mptenders.gov.in> पर टेण्डर डाक्यूमेंट पर देखी जा सकती है या नगरपालिका परिषद कार्यालय में दमुआ में उपस्थित होकर कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है।
27. निविदा प्रपत्र अनुबंध का एक भाग होगा एवं ऐसी अन्य समस्त नियम एवं शर्तें तथा किसी भी विवाद की स्थिति में जो की उल्लेखित नहीं है के संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल/निकाय द्वारा जारी आदेश/दिशा निर्देश अंतिम एवं मान्य होंगे।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद, दमुआ
नगर पालिका परिषद दमुआ
जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)